

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक क्लैक्टर, नीमराना (अलवर)

पीठारीन अधिकारी :- मुकुट सिंह (आर.ए.एस.)

दावा संख्या

रणू दिनांक

निर्णय दिनांक

336 / 2022

17.08.2022

01.05.2023

उपनाम

1. वेदप्रकाश पुत्र श्री भीमा जाति अहीर निवासी ग्राम मोहलडिया तह0 नीमराना।

- वादी

बनाम

1. अनिल कुमार पुत्र सांवलराम जाति अहीर निवासी ग्राम मोहलडिया तह0 नीमराना।
2. सुनिल कुमार पुत्र सांवलराम जाति अहीर निवासी ग्राम मोहलडिया तह0 नीमराना।
3. संतोष पत्नी सांवलराम जाति अहीर निवासी ग्राम मोहलडिया तह0 नीमराना।
4. दिनेश कुमार पुत्र सुबेसिंह जाति अहीर निवासी ग्राम मोहलडिया तह0 नीमराना।
5. रामकला देवी पत्नी सुबेसिंह जाति अहीर निवासी ग्राम मोहलडिया तह0 नीमराना।
6. रितु पुत्री सुबेसिंह जाति अहीर निवासी ग्राम मोहलडिया तह0 नीमराना।
7. बिमला देवी पत्नी सुमेरसिंह जाति अहीर निवासी ग्राम मोहलडिया तह0 नीमराना।
8. लीलाराम पुत्र सुमेरसिंह जाति अहीर निवासी ग्राम मोहलडिया तह0 नीमराना।
9. सुनिल पुत्र सुमेरसिंह जाति अहीर निवासी ग्राम मोहलडिया तह0 नीमराना।
10. पुष्पेन्द्र पुत्र जसराम उर्फ जसवंत सिंह जाति अहीर निवासी ग्राम मोहलडिया तह0 नीमराना।
11. मोनी पुत्री जसराम उर्फ जसवंत सिंह जाति अहीर निवासी ग्राम मोहलडिया तह0 नीमराना।
12. शकुन्तला देवी पत्नी जसराम उर्फ जसवंत सिंह जाति अहीर निवासी ग्राम मोहलडिया तह0 नीमराना।
13. सोनू पुत्री जसराम उर्फ जसवंत सिंह जाति अहीर निवासी ग्राम मोहलडिया तह0 नीमराना।
14. लैण्ड होल्डर (तहसीलदार) नीमराना जिला अलवर।
15. युनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा नीमराना।

:- प्रतिवादीगण ।

दावा इस्तकरार हक व दुरुस्ती इन्द्राजात एवं हु0ई0दवामी अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।

उपस्थिति:- 1 श्री एम.डी. शर्मा एड0 वादी की ओर से ।

2. प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

:- निर्णय :-

पत्रावली पेश हुई। दावा के सुक्ष्म वृतांत निम्न प्रकार से है-

1. वादी ने वाद पेश कर निवेदन किया कि आराजी खसरा नम्बर हाल 234/0.27, 236/0.22, 836/0.67, 857/0.50, 315/0.26, 237/0.14, 301/0.32, 302/0.28, 305/0.28, 306/0.25, 307/0.06, 308/0.29, 309/0.29, 310/0.08, 310/916/0.09, 311/0.08, 312/0.12, 313/0.29, 314/0.23, 316/0.31, 395/0.06, 791/923/0.13, 837/0.57, 839/0.67, 818/0.23, 819/0.23, वाके ग्राम मोहलडिया में मिन वादी व प्रति0 संख्या 1 लगा0 13

धिकारी
अलवर)

द्वारा मौके पर आराजी मुतनाजा का मौखिक बहमी बटवारा कदीम से कर रखा है और मौके पर बहमी बटवारे के मुताबिक अपने अपने हिस्से की आराजी पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं मौके पर मिन वादी एवं प्रति० सं. 1 लगा० 13 द्वारा इस प्रकार बटवारा कर रखा है कि खसरा नम्बर 836/0.67 सालिम मिन वादी के हिस्से में आया हुआ है जिसमें मिन वादी का हिस्सा 1/5 यानि 13.04 ऐयर भूमि है तथा प्रतिवादीगण के खातेदारी के हिस्से की कुल 53.06 ऐयर भूमि है जो मिन वादी को दी हुई है जिस पर मिन वादी काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है तथा हाल खसरा नम्बर 234,236,857,315,237,301,302,305,306,307,308,309,310, 310/916, 311,312,313,314,316,818,819,839,में मिन वादी का सालिम खातेदारी हिस्सा यानि मिन वादी का उक्त खसरा नम्बर में कुल 53.25 ऐयर भूमि खातेदारी में दर्ज है व सम्पूर्ण प्रति० सं. 1 लगा० 13 को हिस्सेनुसार दी हुई है जिस पर प्रति० सं. 1 लगा० 13 मौके पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं।


2. मिन वादी व प्रति० सं. 1 लगा० 13 मौके पर किया गया बहमी बटवारे के मुताबिक काबिज है लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में बहमी बटवारे के मुताबिक खातेदारी दर्ज नहीं है इसलिए सम्पूर्ण आराजी में मिन वादी व प्रति० सं. 1 लगा० 13 हिस्सेनुसार खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है। मिन वादी व प्रति० सं. 1 लगा० 13 द्वारा आपस में किया गया बहमी बटवारे के मुताबिक खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने के लिए तैयार है। प्रतिवादीगण में से कभी तो कोई उपस्थित नहीं होता कभी कोई उपस्थित नहीं होता इसलिए बटवारे के मुताबिक खातेदारी दर्ज नहीं हो सकी। जिसके लिए मिन वादी श्रीमान तहसीलदार साहब, नीमराना से दिनांक 12.08.2022 को मिला तो तहसीलदार साहब ने रिकॉर्ड देखकर बताया कि आप राजस्व न्यायालय में वाद दायर कर इस प्रकार से खातेदारी दर्ज करवा सकते हैं इसलिए मिन वादी द्वारा यह दावा इस्तकरारहक का पेश करना आवश्यक हुआ है।
3. अन्त में वादी ने अपने वाद को निम्न प्रकार डिक्री किये जाने की प्रार्थना की है:-
 - (क) डिक्री इस्तकरारहक इस अमर की जारी की जावे कि खसरा नम्बर हाल 836/0.67 वाके ग्राम मोहलडिया, नीमराना पर से प्रति० सं. 1 लगा० 13 का नाम कलमजन किया जाकर उक्त आराजी का खातेदार मिन वादी को घोषित किया जावे तथा इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड, जमाबंदीयात, खसरा गिरदावरीजात में अंकन कराये जाने के आदेश फरमाये जावे तथा इसी अनुसार खसरा नम्बर 234/0.27, 236/0.22, 836/0.67, 857/0.50, 315/0.26, 237/0.14, 301/0.32, 302/0.28, 305/0.28, 306/0.25, 307/0.06, 308/0.29, 309/0.29, 310/0.08, 310/916/0.09, 311/0.08, 312/0.12, 313/0.29, 314/0.23, 316/0.31, 395/0.06, 791/923/0.13, 837/0.57, 839/0.67, 818/0.23, 819/0.23, वाके ग्राम मोहलडिया के हाल राजस्व रिकॉर्ड में मिन वादी के नाम दर्ज सम्पूर्ण खातेदारी हिस्सा कलमजन किया जाकर, मिन वादी के नाम दर्ज खातेदारी हिस्से के हिस्से अनुसार खातेदारी प्रति० सं. 1 लगा० 13 को घोषित किया जावे तथा इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड, जमाबंदीयात, खसरा गिरदावरीजात में अंकन कराये जाने के आदेश फरमाये जावे।
 - (ख) खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।
 - (ग) अन्य अनुतोष जो न्यायालय श्रीमान उचित समझे सादिर फरमाया जावे।
4. दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया बाद तामिल प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं हुये लिहाजा उनके विरुद्ध दिनांक 13.04.2023 को एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर, पत्रावली वास्ते साक्ष्यवादी नियत की गई।
5. वादी ने साक्ष्य में स्वयं का शपथ पत्र पी.डब्ल्यू 01, बाबूलाल पुत्र दीपचन्द का शपथ पत्र, पी. डब्ल्यू 02, पेश किये हैं तथा दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबंदी संवत 2075-2078 प्रदर्श 01, 02, 03, 04, 05, पेश किये हैं।
6. वकील वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गई हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में प्रस्तुत नकल जमाबंदी संवत 2075-2078, प्रदर्श 01 से 05 के अवलोकन से साबित है कि आराजी विवादित पक्षकारान की सहखातेदारी में दर्ज है जिस सम्पूर्ण आराजी में वादी का 0.67 है० खातेदारी का है। वादी का अभिकथन है कि पक्षकारान ने कदीम से बहमी बटवारा किया हुआ है जिस बहमी बटवारे के अनुसार वादी हाल खसरा नम्बर 836/0.67 सालिम पर काबिज है तथा शेष नम्बर पर जिनमें वादी का हिस्सा 0.67 है० है उस पर बहमी बटवारे के अनुसार प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्से के मुताबिक काबिज काश्त है वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्रों के आधार पर यह साबित होता है कि आराजी विवादित का पक्षकारान से मध्य बटवारा किय हुआ है मुताबिक बटवारा व मौके पर कब्जे काश्त अनुसार पक्षकारान को पृथक पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना कानून संगत एवं न्यायोचित प्रतीत होता है। प्रतिवादीगण द्वारा बावजूद सूचना के वादीगण के वाद को कोई चुनौती नहीं दी गई है जिससे जाहिर होता है कि प्रतिवादीगण को वादी के वाद से कोई आपत्ति नहीं है इसलिए वादी का वाद काबिले डिक्री करार पाता है।

7. अतः आदेश है कि :-

धेकारी
प्रलवर)

वाद वादीगण बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण बाबत दुरुस्ती इन्द्राजात एकपक्षीय डिक्री किया जाकर ख.नं. हाल 836/0.67 वाके ग्राम मोहलडिया, नीमराना का वादी को काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा हाल जमाबंदी में जो अमल प्रतिवादीगण संख्या 1 लगा 13 के नाम का जो अमल खातेदारी का हो रहा है। उसे कलमजन किया जाकर वादी को सम्पूर्ण रकबे का खातेदार काश्तकार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं तथा इसी अनुसार 234/0.27, 236/0.22, 836/0.67, 857/0.50, 315/0.26, 237/0.14, 301/0.32, 302/0.28, 305/0.28, 306/0.25, 307/0.06, 308/0.29, 309/0.29, 310/0.08, 310/916/0.09, 311/0.08, 312/0.12, 313/0.29, 314/0.23, 316/0.31, 395/0.06, 791/923/0.13, 837/0.57, 839/0.67, 818/0.23, 819/0.23, वाके ग्राम मोहलडिया के हाल राजस्व रिकॉर्ड में जो अमल वादी के नाम खातेदारी का हो रहा है उसे कलमजन किया जाकर उक्त सम्पूर्ण आराजी में प्रतिवादीगण संख्या 1 लगा 13 को उनके हिस्से के मुताबिक काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है यानि हाल खसरा नम्बर 836 सम्पूर्ण से प्रतिवादीगण का नाम कलमजन किया जावे व शेष नम्बर जिनमें वादी की खातेदारी का अंकन है उसके स्थान पर सम्पूर्ण नम्बर में प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हिस्से अनुसार खातेदार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं तथा खसरा नम्बर 836/0.67 पर अंकित बैंक रहन का नोट हटाया जाकर, उसे प्रतिवादीगण के हिस्से में आये नम्बरान पर हिस्सेनुसार अंकित किया जावे। तदानुसार हाल राजस्व रिकॉर्ड, जमाबंदीयात बाद दुरुस्ती अंकन कराये जाने के आदेश दिये जाते हैं। खर्चा वाद वादी स्वयं वहन करेगा। पर्चा डिक्री जारी हो पत्रावली फौशलशुमार होकर दाखिल लेख भण्डार हो।

यह निर्णय आज दिनांक 01.05.2023 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में घोषित किया गया।


1/5/2023

मुकुन्द सिंह (आर ए एस)
उपरखण्ड अधिकारी
उपरखण्ड अधिकारी एवं
नीमराना (अलवर)
पदेन सहायक कलेक्टर, नीमराना

यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलैक्टर, नीगराना (अलवर)

पीठारीन अधिकारी :- मुकुट सिंह (आर.ए.एस.)

संख्या

रजू दिनांक

निर्णय दिनांक

1/2022

17.08.2022

01.05.2023

उपनाम

हेटकरस पुत्र श्री भीमा जाति अहीर निवासी ग्राम मोहलडिया तह0 नीगराना।

- वादी

बनाम

1. अनिल कुमार पुत्र सांवलराम जाति अहीर निवासी ग्राम मोहलडिया तह0 नीगराना।
2. सुनिल कुमार पुत्र सांवलराम जाति अहीर निवासी ग्राम मोहलडिया तह0 नीगराना।
3. संतोष पत्नी सांवलराम जाति अहीर निवासी ग्राम मोहलडिया तह0 नीगराना।
4. दिनेश कुमार पुत्र सुबेसिंह जाति अहीर निवासी ग्राम मोहलडिया तह0 नीगराना।
5. रामकला देवी पत्नी सुबेसिंह जाति अहीर निवासी ग्राम मोहलडिया तह0 नीगराना।
6. रितु पुत्री सुबेसिंह जाति अहीर निवासी ग्राम मोहलडिया तह0 नीगराना।
7. बिमला देवी पत्नी सुमेरसिंह जाति अहीर निवासी ग्राम मोहलडिया तह0 नीगराना।
8. लीलाराम पुत्र सुमेरसिंह जाति अहीर निवासी ग्राम मोहलडिया तह0 नीगराना।
9. सुनिल पुत्र सुमेरसिंह जाति अहीर निवासी ग्राम मोहलडिया तह0 नीगराना।
10. पुष्पेन्द्र पुत्र जसराम उर्फ जसवंत सिंह जाति अहीर निवासी ग्राम मोहलडिया तह0 नीगराना।
11. मोनी पुत्री जसराम उर्फ जसवंत सिंह जाति अहीर निवासी ग्राम मोहलडिया तह0 नीगराना।
12. शकुन्तला देवी पत्नी जसराम उर्फ जसवंत सिंह जाति अहीर निवासी ग्राम मोहलडिया तह0 नीगराना।
13. सोनू पुत्री जसराम उर्फ जसवंत सिंह जाति अहीर निवासी ग्राम मोहलडिया तह0 नीगराना।
14. लैण्ड होल्डर (तहसीलदार) नीगराना जिला अलवर।
15. युनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा नीगराना।

:- प्रतिवादीगण ।

दावा इस्तकरार हक व दुरुस्ती इन्द्राजात एवं हु0ई0दवामी अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।

उपस्थिति:- 1 श्री एम.डी. शर्मा एड0 वादी की ओर से ।

2 प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

दिनांक- 01.05.2023

:- पचाडिकी :-

वाद वादीगण बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण बाबत दुरुस्ती इन्द्राजात एकपक्षीय डिक्री किया जाकर ख.नं. हाल 836/0.67 वाके ग्राम मोहलडिया, नीगराना का वादी को काविज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा हाल जमाबंदी में जो अमल प्रतिवादीगण संख्या 1 लगा0 13 के नाम का जो अमल खातेदारी का हो रहा है। उसे कलमजन किया जाकर वादी को सम्पूर्ण रकबे का खातेदार काश्तकार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं तथा इसी अनुसार 234/0.27, 236/0.22, 836/0.67, 857/0.50, 315/0.26, 237/0.14, 301/0.32, 302/0.28, 305/0.28, 306/0.25, 307/0.06, 308/0.29, 309/0.29, 310/0.08, 310/916/0.09, 311/0.08, 312/0.12, 313/0.29, 314/0.

अधिकारी
ना (अलवर)

23, 316/0.31, 395/0.06, 791/923/0.13, 837/0.57, 839/0.67, 818/0.23, 819/0.23, वाके ग्राम मोहलडिया के हाल राजस्व रिकॉर्ड में जो अमल वादी के नाम खातेदारी का हो रहा है उसे कलमजन किया जाकर उक्त सम्पूर्ण आराजी में प्रतिवादीगण संख्या 1 लगा 13 को उनके हिस्से के मुताबिक काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है यानि हाल खसरा नम्बर 836 सम्पूर्ण से प्रतिवादीगण का नाम कलमजन किया जावे व शेष नम्बर जिनमें वादी की खातेदारी का अंकन है उसके स्थान पर सम्पूर्ण नम्बर में प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हिस्से अनुसार खातेदार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा खसरा नम्बर 836/0.67 पर अंकित बैंक रहन का नोट हटाया जाकर, उसे प्रतिवादीगण के हिस्से में आये नम्बरान पर हिस्सेनुसार अंकित किया जावे। तदानुसार हाल राजस्व रिकॉर्ड, जमाबंदीयात बाद दुरुस्ती अंकन कराये जाने के आदेश दिये जाते है। खर्चा वाद वादी स्वयं वहन करेगा।

21/5/2023
मुकट सिंह (अमर ए एम)
उपरवण्ड अधिकारी एवं
नीमराना (अलवर)
पदेन सहायक कलेक्टर, नीमराना